राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प.3(77)नविवि/3/2010पार्ट–VIII   जयपुर, दिनांकः 17 JUL 2017

आदेश

विभागीय आदेश क्र. प.10(193)नविवि/3/2009पार्ट–II दिनांक 27.05.2015 के द्वारा गैस गोदाम, स्टोन क्रेशर उद्योग एवं ईंट भट्टा हेतु मानदण्ड जारी किये गये है। ईंट भट्टा मास्टर प्लान के परिधि नियंत्रण पट्टी में न्यूनतम 18 मीटर (60 फीट) चौड़ा पहुंच मार्ग पर अनुज्ञेय है। ईंट भट्टे हेतु पहुंच मार्ग के अलावा अन्य बाह्य विकास कार्य करवाये जाने आवश्यक नहीं है। अतः ईंट भट्टे के नियमन/रूपान्तरण के प्रकरण में राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 (10 हैक्टयर से कम) के बिन्दु सं. 10.00 की टिप्पणी (9) के अनुसार औद्योगिक भूखण्डों द्वारा वर्तमान सुविधाओं के उपयोग की एवज में बाह्य विकास शुल्क निम्न दर से लिया जावे :-

क. 50,000 तक जनसंख्या के शहरों के लिये – रूपये 20/– प्रति वर्गमीटर

ख. 50,000 से अधिक 1,00,000 तक जनसंख्या के शहरों के लिये – रूपये 30/– प्रति वर्गमीटर।

ग. 1,00,000 से अधिक जनसंख्या के शहरों के लिये – रूपये 50/– प्रति वर्गमीटर।

यदि ईंट भट्टे के किसी प्रकरण में पहुंच मार्ग 18 मीटर (60 फीट) से कम उपलब्ध है तो भूखण्ड के सामने विद्यमान सड़क की चौड़ाई नियमानुसार न्यूनतम 18 मीटर किये जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 9 मीटर (30 फीट) चौड़ाई की भू–पट्टी निःशुल्क समर्पित करवायी जावेगी। यदि किसी प्रकरण में पहुंच मार्ग भूखण्ड की सीमा के समानान्तर न होकर लम्बवत हो एवं भूखण्ड पर पहुंच कर समाप्त हो रहा है तो ऐसी स्थिति में भविष्य हेतु पहुंच मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम 60 फीट निर्धारित की जावे।

14/7/17

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. निदेशक, स्थानीय निकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव—प्रथम/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
9. अतिरिक्त नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
10. उप विधि परामर्शी नगरीय विकास विभाग।
11. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त को आवश्यक कार्यवाही बाबत्............................।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

15/7/17

संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

IA

15/7